


श सनादेश सं० 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1) 2024 दिनांक 11
जुलाई, 2024 का संलग्नक:-
विकल्प पत्र

1	नाम	विकास नागर
2	वर्तमान पदनाम	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर
3	वेतनमान	144840-194660
4	वर्तमान विभाग का नाम	न्याय विभाग
5	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	उ०प्र० लोक सेवा आयोग
6	विज्ञप्ति की तिथि	15, नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं० A-2/E-1/2003) (प्रकाशित 22-28 नवम्बर, 2003 रोजगार रामाचार)
7	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26.05.2006 उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग-4 (सं० 2430/दो-4-06-32(1)/2001 टीसी-1)
8	योगदान की तिथि	21.06.2006
9	जन्मतिथि	07.04.1978
10	सेवा निवृत्ति की तिथि	30.04.2038


मैं विकास नागर पुत्र श्री सोहन लाल नागर शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।


(विकास नागर)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

घोषणा पत्र

मैं विकास नागर पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


(विकास नागर)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री विकास नागर पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जिला एवम् सत्र न्यायाधीश,
गौतमबुद्धनगर।